6

सांविधिक और स्वायत्तशासी निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

6.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला खान भविष्य निधि संगठन एक स्वायतशासी निकाय है जो निम्नलिखित स्कीमों को प्रशासित करता है :–

- कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948
- कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998

उपर्युक्त स्कीम की अलग–अलग विशेषताएं और व्यापक रूपरेखा निम्नवत है:

6.1.1 कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कोयला खान भविष्य निधि स्कीम बनाई गई है जो भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ प्रदान करती है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अधिनियम के अधीन नहीं आती है। कोयला खान भविष्य निधि में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं। वित्त वर्ष 2014–15 के पीएफ के अंत शेष पर 8.50% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज की अनुमति दी गई थी। वित्त वर्ष 2015–16 के लिए प्रतिवर्ष 8.50% की दर का प्रस्ताव किया गया है। नियोजकों, कर्मचारियों और केंद्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि वाले एक त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड में निधियां निहित होती हैं तथा उनके द्वारा प्रशासित की जाती हैं।

इस स्कीम का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :

विवरण	2014–15 वास्तविक	2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	2016–17 अनुमानित
शामिल कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक के अनुसार)	903	903	903
वर्ष के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या (लाखों में)	4.73	4.71	4.65
स्वैच्छिक अंशदान सहित दिसम्बर, 2015 तक वर्ष के दौरान अंशदान (करोड़ रू. में)	4286.06	3728.56 (लगभग)	5500.00 (लगभग)
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज दर	8.50%	8.50% (बीओटी द्वारा अनुमोदित की गई ब्याज दर)	8.50% (बीओटी द्वारा बाद में अनुमोदित की जाने वाली अनुमानित ब्याज दर)
दिसम्बर, 2015 तक वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रू. में)	539.33	435.48 (लगभग)	600.00 (लगभग)
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी दिसम्बर, 2015 तक (करोड़ रु. में)	4637.43	3654.60 (लगभग)	5000.00 (लगभग)
(i) निपटाए नए मामलों की संख्या (वापसी)	31,111	24884	32,000
(ii) प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी)	31,279	24944	32,400
विद्यमान अधिकारियों की संख्या	34	34	34
विद्यमान कर्मचारियों की संख्या	920	930	943

तालिका 6.1

6.1.2 कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998

कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 (सीएमपीएफएस, 71) का अधिक्रमण करके कोयला खान भविष्य निधि प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 3 ई द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 (सीएमपीएस, 1998) 31.03.1998 को लागू की गई थी। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार सीएमपीएफ की सदस्यता 4,71,298 दर्ज की गई है। स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :–

6.1.2.1 पेंशन निधि

पेंशन निधि में कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 की निवल परिसंपत्तियां होती हैं। स्कीम के लाभार्थियों में बंद कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम, 1971 के सदस्य जो 31 मार्च 1998 को विद्यमान थे, 31 मार्च 1998 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी और पेंशन निधि की सदस्यता को अपनाने वाले सदस्य शामिल हैं। ऐसे सभी कर्मचारियों जिनकी 01.04.1994 से 31.03.1998 की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई, को जीएसआर संख्या 521 (ई) दिनांक 12.08.2004 के तहत स्कीम के सदस्य के रूप में समझा गया है। प्रत्येक तीसरे वर्ष बीमांकिक द्वारा पेंशन निधि के मूल्यांकन का प्रावधान है जिसकी नियुक्ति न्यासी बोर्ड द्वारा की जाती है।

6.1.2.2 पात्रता के प्रकार

- मासिक पेंशन
- विकलांगता पेंशन
- विधवा अथवा विधुर पेंशन
- बाल पेंशन
- अनाथ पेंशन
- अनुग्रह अदायगी

केन्द्र सरकार ने 2014–15 के दौरान 14.60 करोड़ रू., 2015–16 (ब.अ.) में 14.60 करोड़ रू. का अंशदान किया है और 2016–17 (ब.अ.) में 15.25 करोड़ रू. की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्कीम के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय के लिए 2014–15 के दौरान 7.65 करोड़ रु. का अंशदान किया। 2015–16 (ब.अ.) में 7.75 करोड़ रू. और 2016–17 (ब.अ.) में 7.75 करोड़ रू. की व्यवस्था की गयी है ।

निम्नलिखित तालिका सीएमपीएस, 1998 के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है :–

सीएमपी स्कीम के लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	2014–2015 वास्तविक	2015–2016 (दिसम्बर, 2015 तक)	2016–2017 अनुमानित
i)	कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता (लाख)	4.73	4.71	4.70
ii)	नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा दिस. 2015 तक वर्ष के दौरान पेंशन स्कीम, 98 में किया गया अंशदान और सीएमपीएस, 98 पर ब्याज (करोड़ रू. में)	2142.97	1700.15 (लगभग)	2300.00 (लगभग)
iii)	दिस. 2015 तक लाभों का संवितरण (समाप्त हुई परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (सीएमएफपीएस 1971) (करोड़ रू. में)	1601.60	1243.70 (लगभग)	1700.00 (लगभग)
iv) (क)	परिवार पेंशन (सीएमएफपीएस 1971) और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या	4	0	0
(ख)	दिस. 2015 तक निपटाए गए पेंशन (सीएमएफपीएस, 1998) के मामलें	31,839	25,173	33,000
v) (क)	परिवार पेंशन (सीएमएफपीएस, 1971) तथा जीवन बीमा लाभ के लिए प्राप्त मामलों की संख्या	4	0	0
(ख)	दिस. 2015 तक सीएमपीएस, 1998 के अंतर्गत प्राप्त पेंशन मामलों की संख्या	31,902	25,272	32,800

तालिका 6.2